चेक लिस्ट क्रं. 35

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

क्रमांक 60 /भू-अभि./2022 कांकेर, दिनांक 24-06-20

–:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::–

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कांकेर द्वारा संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय दुर्गूकोंदल हेतु चयनित भूमि ग्राम भण्डारडिगी के खसरा नंबर 54 रकबा 4.83 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि (छोटेझाड़ के जंगल मद) के गैर–वानिकी प्रयोजन हेतु वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है।

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व वनभूमि के मद पर दर्ज है, जिस पर वनसंरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर–वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वनविभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्तभूमि के संबंध में नियमानुसार भू–प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तथा संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में उल्लेखित ग्राम में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती हो, तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। इस संबंध में ग्रामसभा एवं अनुविभाग स्तरीय उपखण्ड समिति से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर तथा निम्न शर्तों पर विषयांकित ग्राम के आवेदित खसरे की भूमि पर संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित होने वाली राजस्व वनभूमि का अनापत्ति पत्र प्रदाय किया जाता है :–

1. यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम भण्डारडिगी में संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु दी जा रही है। यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित प्रयोजन के बदले अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा भविष्य में किया जाता हो, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. इस अनापत्ति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त भूमि के व्यपवर्तन वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत् गैर–वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की कार्यवाही विधिवत की जाती है, तो उपरोक्त भूमि के उपयोग किये जाने पर इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर,
जिला–उत्तर बस्तर कांकेर

क्रमांक/भू–अभि 710 /2022 कांकेर, दिनांक 24-06-2022

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल पूर्व भानुप्रतापपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कांकेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर,
जिला–उत्तर बस्तर कांकेर